

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 90

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	4645.96	91.11	4737.07	6320.00	100.32	6420.32	5320.00	98.35	5418.35	5703.00	47.74	5750.74	
पूँजी	202.65	...	202.65	305.00	...	305.00	305.00	...	305.00	462.00	...	462.00	
जोड़	4848.61	91.11	4939.72	6625.00	100.32	6725.32	5625.00	98.35	5723.35	6165.00	47.74	6212.74	
1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	1.29	25.56	26.85	2.00	28.73	30.73	2.70	28.16	30.86	4.00	25.38	29.38
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	0.06	0.06	...	0.03	0.03	...	0.04	0.04
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
3. अनुसूचित जातियों के उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2225	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	872.05	...	872.05	1028.00	...	1028.00	781.00	...	781.00	1036.80	...	1036.80
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	872.05	...	872.05	1030.00	...	1030.00	783.00	...	783.00	1038.80	...	1038.80
4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2225	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
	3601	1652.53	...	1652.53	1468.00	...	1468.00	1867.87	...	1867.87
	3602	2.11	...	2.11	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	जोड़	1654.65	...	1654.65	1470.00	...	1470.00	1870.37	...	1870.37	1.00	...	1.00
5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र	2225	0.48	...	0.48	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	96.00	...	96.00	86.00	...	86.00	125.75	...	125.75
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25
	जोड़	97.48	...	97.48	88.00	...	88.00	128.00	...	128.00	1.00	...	1.00
6. बालिका छात्रावास	2225	2.50	...	2.50	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00	6.00	...	6.00
	3601	17.72	...	17.72	40.00	...	40.00	24.24	...	24.24
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	20.22	...	20.22	49.00	...	49.00	40.24	...	40.24	6.00	...	6.00
7. लड़कों के लिए छात्रावास	2225	2.30	...	2.30	3.00	...	3.00	7.50	...	7.50	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3601	13.29	...	13.29	20.50	...	20.50	2.75	...	2.75	
3602	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	
जोड़	15.59	...	15.59	24.50	...	24.50	10.75	...	10.75	5.00	...	5.00	
8. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	2225	
3601	10.00	...	10.00	9.50	...	9.50	20.10	...	20.10	
3602	
जोड़	10.00	...	10.00	9.50	...	9.50	20.10	...	20.10	
9. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	170.50	...	170.50	171.00	...	171.00	
3601	931.37	...	931.37	882.00	...	882.00	514.50	...	514.50	
जोड़	931.37	...	931.37	882.00	...	882.00	685.00	...	685.00	171.00	...	171.00	
10. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	14.86	...	14.86	27.50	...	27.50	...	27.50	49.00	...	49.00	
11. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	98.00	...	98.00	24.50	...	24.50	191.00	...	191.00
12. उच्च स्तरीय शिक्षा	2225	16.67	...	16.67	20.00	...	20.00	24.00	...	24.00	20.58	...	20.58
13. सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास की स्वरोजगार योजना	2225	20.00	...	20.00	557.00	...	557.00	69.50	...	69.50	439.04	...	439.04
14. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	3601	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00
15. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2225	9.89	14.73	24.62	33.00	15.68	48.68	14.30	15.20	29.50	63.25	17.10	80.35
3601	1.97	...	1.97	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00
जोड़	11.86	14.73	26.59	38.00	15.68	53.68	17.30	15.20	32.50	63.25	17.10	80.35	
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3664.75	14.73	3679.48	4393.50	15.68	4409.18	3725.26	15.20	3740.46	1985.67	17.10	2002.77	
16. मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	0.32	...	0.32	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3601	46.02	...	46.02	133.00	...	133.00	108.70	...	108.70
3602	0.51	...	0.51	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़	46.85	...	46.85	135.00	...	135.00	110.70	...	110.70	1.00	...	1.00	
17. मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2225	0.13	...	0.13	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3601	664.96	...	664.96	808.00	...	808.00	738.09	...	738.09
3602	1.63	...	1.63	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़	666.72	...	666.72	810.00	...	810.00	740.09	...	740.09	1.00	...	1.00	
18. छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास	2225	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
3601	5.76	...	5.76	29.50	...	29.50	11.68	...	11.68
3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
19. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	5.00	...	5.00	9.90	...	9.90	
20. अन्य कार्यक्रम	2225	0.46	2.35	2.81	9.00	3.30	12.30	3.43	3.11	6.54	11.28	3.55	14.83
	3601	8.00	...	8.00
	जोड़	0.46	2.35	2.81	17.00	3.30	20.30	3.43	3.11	6.54	11.28	3.55	14.83
जोड़-अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		728.79	2.35	731.14	1007.00	3.30	1010.30	875.40	3.11	878.51	33.18	3.55	36.73
21. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम	2225	5.28	...	5.28	10.48	...	10.48	10.48	...	10.48	10.74	...	10.74
	3601	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	जोड़	5.38	...	5.38	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	11.76	...	11.76
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		4398.92	17.08	4416.00	5412.00	18.98	5430.98	4612.16	18.31	4630.47	2030.61	20.65	2051.26
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
विकलांगों का कल्याण													
22. दीनदयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजना	2235	46.99	...	46.99	106.85	...	106.85	80.50	...	80.50
23. राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक विक्रम, अस्थि विकलांग संस्थान	2235	61.08	43.61	104.69	77.00	46.50	123.50	89.70	46.50	136.20
24. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक अंग और उपकरण	2235	70.60	...	70.60	96.00	...	96.00	96.00	...	96.00
25. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की योजनाएं	2235	11.66	...	11.66	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00
	3601	8.37	...	8.37	74.00	...	74.00	35.50	...	35.50
	जोड़	20.03	...	20.03	99.00	...	99.00	58.50	...	58.50
26. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार योजना	2235	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
27. निशक्ताग्रस्त छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3601	30.00	...	30.00	0.05	...	0.05
28. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2235	4.69	3.02	7.71	60.15	3.75	63.90	57.25	3.45	60.70
	3601
	जोड़	4.69	3.02	7.71	60.15	3.75	63.90	57.25	3.45	60.70
जोड़-विकलांगों का कल्याण		203.89	46.63	250.52	473.00	50.25	523.25	383.00	49.95	432.95
सामाजिक कल्याण													
29. द्विपक्षीय करारों के अधीन वस्तु सहायता पर वितरण व्यय	2235	...	0.75	0.75	...	0.95	0.95
30. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक हेतु सहायता	2235	17.92	...	17.92	40.00	...	40.00	25.32	...	25.32	45.00	...	45.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
31. वृद्धाश्रमों आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	18.21	...	18.21	40.00	...	40.00	19.95	...	19.95	45.00	...	45.00
32. निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण	2235
	3601
	जोड़
33. अन्य कार्यक्रम	2235	37.52	1.09	38.61	79.10	1.35	80.45	49.84	1.90	51.74	84.70	1.67	86.37
जोड़-सामाज कल्याण		73.65	1.84	75.49	159.10	2.30	161.40	95.11	1.90	97.01	174.70	1.67	176.37
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		277.54	48.47	326.01	632.10	52.55	684.65	478.11	51.85	529.96	174.70	1.67	176.37
34. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	182.65	...	182.65	257.00	...	257.00	257.00	...	257.00	443.76	...	443.76
	4235	20.00	...	20.00	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00
	जोड़	<i>202.65</i>	...	<i>202.65</i>	<i>288.00</i>	...	<i>288.00</i>	<i>288.00</i>	...	<i>288.00</i>	<i>443.76</i>	...	<i>443.76</i>
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	273.90	...	273.90	227.03	...	227.03	63.19	...	63.19
	4552	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	18.24	...	18.24
	जोड़	<i>290.90</i>	...	<i>290.90</i>	<i>244.03</i>	...	<i>244.03</i>	<i>81.43</i>	...	<i>81.43</i>
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना													
36. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम	2552	30.00	...	30.00
	3601	1467.00	...	1467.00
	3602	2.00	...	2.00
	जोड़	<i>1499.00</i>	...	<i>1499.00</i>
37. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र	2552	1.80	...	1.80
	3601	85.95	...	85.95
	3602	1.25	...	1.25
	जोड़	<i>89.00</i>	...	<i>89.00</i>
38. बालिका छात्रावास	2552	0.10	...	0.10
	3601	42.90	...	42.90
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	<i>44.00</i>	...	<i>44.00</i>
39. लड़कों के लिए छात्रावास	2552	0.40	...	0.40
	3601	18.60	...	18.60
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	<i>20.00</i>	...	<i>20.00</i>
40. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु	2552	0.20	...	0.20

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति												
	3601	9.80	...	9.80
	3602
	जोड़	10.00	...	10.00
41. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2552	16.68	...	16.68
	3601	646.32	...	646.32
	3602
	जोड़	663.00	...	663.00
42. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	2552
	3601	100.00	...	100.00
	3602
	जोड़	100.00	...	100.00
43. अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम	2552	0.50	...	0.50
	3601	22.50	...	22.50
	3602
	जोड़	23.00	...	23.00
44. अन्य पिछड़ी जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2552	15.00	...	15.00
	3601	133.00	...	133.00
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	149.00	...	149.00
45. अन्य पिछड़ी जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2552	78.50	...	78.50
	3601	704.50	...	704.50
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	784.00	...	784.00
46. अन्य पिछड़ी जाति के लिए बालक-बालिका छात्रावास	2552	3.50	...	3.50
	3601	30.50	...	30.50
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	35.00	...	35.00
47. अन्य पिछड़ी जाति के लिए अन्य कार्यक्रम	2552	1.45	...	1.45
	3601	13.05	...	13.05
	3602
	जोड़	14.50	...	14.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजना
48. वास्तविक वसूलियां	2225	-31.79	-31.79
	2235
	2251
	3601
जोड़	-31.79	...	-31.79
कुल जोड़	4848.61	91.11	4939.72	6625.00	100.32	6725.32	5625.00	98.35	5723.35	6165.00	47.74	6212.74
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
34.01 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी	22225	5.00	5.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
34.02 राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त एवं विकास निगम	22235	20.00	20.00	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00
34.03 राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त और विकास निगम	22225	177.65	177.65	237.00	...	237.00	237.00	...	237.00	246.72	...	246.72
34.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.	22225	196.00	...	196.00
जोड़	202.65	...	202.65	288.00	...	288.00	288.00	...	288.00	442.72	...	442.72
ग. योजना परिव्यय												
केन्द्रीय योजना:												
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.29	1.29	2.00	...	2.00	2.70	...	2.70	4.00	...	4.00
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	22225	4549.78	4549.78	5669.00	...	5669.00	4869.16	...	4869.16	2474.37	...	2474.37
3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	297.54	297.54	663.10	...	663.10	509.11	...	509.11	174.70	...	174.70
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	290.90	...	290.90	244.03	...	244.03	81.43	...	81.43
जोड़ - केन्द्रीय योजना	4848.61	...	4848.61	6625.00	...	6625.00	5625.00	...	5625.00	2734.50	...	2734.50
राज्य योजना:												
1. अनुसूचित जातियों का कल्याण	43601	2442.75	...	2442.75
2. अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	43601	979.50	...	979.50
जोड़ - राज्य योजना	3422.25	...	3422.25
संघ राज्य क्षेत्र योजना :												
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)												
1. अनुसूचित जातियों का कल्याण	43602	5.25	...	5.25
2. अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	43602	3.00	...	3.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		8.25	...	8.25
जोड़		4848.61	...	4848.61	6625.00	...	6625.00	5625.00	...	5625.00	6165.00	...	6165.00

- सचिवालय:** इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।
- विवेकाधीन अनुदान:** विवेकाधीन अनुदान पात्र संगठनों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है।
- अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता:** इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए संगत विकास कार्यक्रमों पर बल देना है। उन 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जो अनुसूचित जाति घटक योजना तैयार कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को ऊंची आय वाले सृजनकारी कार्य कलापों में अपनी क्षमता और उत्कृष्टता सिद्ध करने के अधिक क्षेत्र खोलने, नए उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम के विद्यमान प्रारूप में बल देना रहा है।
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र:** यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ करने, अनन्य विशेष अदालतों के गठन और कार्यकरण, अंतर-जातीय विवाहों के लिए पुरस्कारों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, जागरुकता सृजन के लिए प्रदान की जाती है।
- बालिका छात्रावास:** संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और केन्द्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में मानद विश्वविद्यालयों को उनके विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- बालकों के लिए छात्रावास:** अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए, जो मिडिल तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत प्रदान की जाती है।
- अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि प्रारम्भिक से माध्यमिक स्तर में शिक्षा छोड़ने की घटनाओं को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु छात्र को अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयत्नों में लगे सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं के संचालन, सेवा कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियों और आय सृजन कार्यक्रमों जैसा कि विभिन्न वाणिज्यिक कार्यों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक, सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
- राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- मेधावी छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा:** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों की एक लघु सूची अधिसूचित की गई और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बड़ी छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरूरतें पूरी होंगी। वर्ष 2012-13 से माता-पिता की वार्षिक आय सीमा में संशोधन कर इसे 2.00 लाख से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपए कर दिया गया है।
- सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना:** इस स्कीम के उद्देश्य शेष स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों का एक समयबद्ध रीति से पुनर्वास करना है। स्कीम के तहत, लाभार्थियों को लाभदायक स्व/मजदूरी रोजगार के लिए ऋण, सस्मिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम में नवम्बर, 2013 से संशोधन किया गया है। इसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक-बारगी नकद सहायता का प्रावधान भी किया गया है।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** 12वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए पुनर्संशोधन के अनुसार इस स्कीम (क्र.सं.42) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजन के अंतर्गत आवंटन किया जा रहा है।

15. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान के अंतर्गत अम्बेडकर प्रतिष्ठान, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय केन्द्र, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पर होने वाले स्थापना व्यय को पूरा करने की सहायता परियोजनाएं आती हैं। इस प्रावधान में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का विकास भी शामिल है।

16. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है।

17. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

18. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण:** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है।

19. **अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उपयुक्त रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को अनुसूचित जातियों की योजना की तर्ज पर आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

20. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान में, अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, कुल अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रावधान के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कर स्थापना व्यय आता है।

21. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम:** इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना कवर की जाती है। यह योजना अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नौकरी तलाश करने वाले संभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को, परीक्षा से पूर्व विशेष कोचिंग दिलाकर, पूरा करने के लिए बनाई गई है जिससे कि इन श्रेणियों के विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह योजना प्रतिष्ठित संस्थानों/केन्द्रों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्यक्रम के संचालन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित केवल वही विद्यार्थी पात्र हैं जिनकी कुल आय 3.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है।

22. **दीनदयालय विकलांगजन पुनर्वास योजना:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

23. **राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विकसित और अस्थि विकलांग व्यक्ति संस्थान:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

24. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

25. **नि शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन की योजनाएं:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

26. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार संबंधी योजना:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

27. **विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

28. **विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

29. **द्विपक्षीय करारों के तहत वस्तु सहायता पर संवितरण व्यय:** इस योजना को मांग संख्या 91 – नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है।

30. **नशीली दवा दुरुपयोग मद्यपान और निवारण के लिए सहायता:** यह योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यसनियों की पहचान करने, उन्हें परामर्श देने और उनका पुनर्वास करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत स्वयंसेवी संगठनों को कुल अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम व जम्मू और कश्मीर के मामले में यह कुल स्वीकार्य व्यय का 95 प्रतिशत है।

31. **वृद्धाश्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता:** इस योजना में दिवा परिचर्या केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटों की स्थापना आदि के संचालन और रखरखाव के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित की गई है। वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने के अलावा, इस योजना में अनेक नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे विश्राम गृह और सतत देख-रेख आवास, वृद्धों के लिए बहु-सेवा केन्द्र चलाना, अल्जाइमर/मनोभ्रंश रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र चलाना, वृद्धों के लिए – फिजियोथेरेपी क्लिनिक और वृद्ध लोगों को विकलांगता संबंधी और श्रवण यंत्र देना, उनके लिए हेल्प-लाइन और परामर्शी केन्द्र इत्यादि।

32. **निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण:** इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, अनुसंधान अध्ययन और अनुसंधान प्रकाशनों, समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ व्यय के लिए प्रावधान तथा विभिन्न नई योजनाओं हेतु है।

34. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** बजटीय सहायता के जरिए इक्विटी के आंकड़े व्यय बजट खंड 1 में दिए गए हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित को शेयर पूंजी मुहैया कराई जाती है -i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम iv) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड: इस प्रावधान में आईएफसीआई लि. द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति वर्गों के लिए उद्यमी पूंजी निधि शामिल है। वर्ष 2014-15 में 200 करोड़ रु. के प्रावधान के साथ आरंभिक पूंजी में भारत सरकार का योगदान है।

35. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

36. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। इस स्कीम में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए उनकी प्रतिबद्ध देयताओं के अतिरिक्त, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिबद्ध देयता की अवधारणा से छूट प्राप्त है। इस स्कीम को वर्ष 2010-11 में संशोधित किया गया है। संशोधन जो 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :- (1) मौजूदा 1 लाख रुपए की आय सीमा को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाना (2) भरण-पोषण और अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि करना और (3) पाठ्यक्रमों का पुनर्समूहन। पात्रता की शर्त में माता-पिता की वार्षिक आय की उच्चतम सीमा में 01.04.2013 से फिर से संशोधन कर इसे 2.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

37. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए संत्र:** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध देयता के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कुल व्यय के 50 प्रतिशत के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ करने, अनन्य विशेष अदालतों के गठन और कार्यकरण, अंतर-जातीय विवाहों के लिए पुरस्कारों, अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, जागरूकता सृजन के लिए प्रदान की जाती है।

38. **बालिका छात्रावास:** राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और केन्द्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

39. **बालकों के लिए छात्रावास:** छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राज्यों को 50:50 के आधार पर/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत प्रदान की जाती है।

40. **अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य अस्वच्छ व्यवसायों जैसे मैला ढोने, चमड़ा उतारने, चर्म-शोधन, कूड़ा बीनना इत्यादि में लगे व्यक्तियों के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है।

41. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के माता-पिता को कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि प्रारम्भिक से माध्यमिक स्तर में शिक्षा छोड़ने की घटनाओं को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु छात्र को अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.00 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

42. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2009-10 में 50 प्रतिशत से अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 1000 गांवों को कवर करने के लिए प्रायोगिक आधार पर की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, 1000 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का समेकित विकास सभी संगत केन्द्रीय और राज्य स्कीमों को प्रमुखतः एक साथ मिलाकर कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। चिन्हित गांवों की अधिकतम आवश्यकताएं मिलाकर कार्यान्वयन से पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए 20 लाख रुपए राशि प्रति गांव, राज्य सरकार के सम्भावित समान अंशदान के साथ इस स्कीम के तहत अन्तर-पूर्ति केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

43. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम आते हैं।

44. **अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है। इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

45. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री सहित मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों के साथ 1.7.2011 से संशोधित कर दी गई है अर्थात् :-

1) पात्रता के लिए मौजूदा पैतृक आय सीमा को 44,500 रुपए से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

2) अन्य पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों के भरण-पोषण और अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी।

3) पाठ्यक्रमों का पांच समूहों से चार समूहों में पुनःसमूहन जैसाकि पीएमएस-एससी की योजना में किया गया है।

46. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण:** इस योजना का उद्देश्य, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है। इस योजना को 2010-11 में संशोधित कर दिया गया है और संशोधित योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय सहायता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि, अन्य राज्यों के मामले में केन्द्रीय सहायता लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।

47. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस प्रावधान के अंतर्गत विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों का शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास आता है।

यह आवंटन अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के वर्गों के लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे उन व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, सिविल राइट अधिनियम का संरक्षण एवं राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को अनुसूचित जाति विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

यह योजना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लड़के और लड़कियों के छात्रावास हेतु, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति एवं डीएनटी के शैक्षिक और आर्थिक विकास हेतु योजना को अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनअधिसूचित घुमन्तुओं के विकास हेतु योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।